

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर
अपील संख्या- 52/2009 अंतर्गत धारा-78 एल.आर.एक्ट
(GCMS No. 2009/00011)

अनवान:

1. भवरलाल पुत्र हरदेवाराम जाति वाल्मिकी निवासी शिव मन्दिर के पास वाल्मिकी बस्ती, शिवबाडी तहसील व जिला बीकानेर वगैरह।

.....अपीलांट्स

बनाम

1. मदनलाल पुत्र स्व.श्री जगाराम व स्व. श्रीमती अनोपी जाति वाल्मिकी निवासी एम.एम.ग्राउंड के पास, वाल्मिकी बस्ती, बीकानेर वगैरह।

.....रेस्पोंडेंट्स

3.7.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट श्री सुरेश कुमार शर्मा ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपरोक्त अनवान की अपील में अपीलांट्स काफी कोशिश करने के बावजूद मुझसे सम्पर्क में नहीं कर रहे हैं। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अभिभाषक अपीलांट का विद्धो प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया। यह अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला के निर्णय दिनांक 28.07.2008 के विरुद्ध इस न्यायालय में विचाराधीन है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार अभिभाषक अपीलांट्स इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते एवं विद्धा करना चाहते हैं। अतः अपील अपीलांट्स जरिये विद्धावल (withdrawal) इसी स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय निर्णय की प्रमाणित प्रति प्रेषित हो। अपील नंबर से कम होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। आदेश सुनाया गया।

9/7/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर